राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	49/2025 सुनील कुमार बनाम प्रभु हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/06/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. बाद अनुपस्थित। तत्पश्चात अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनिय 1955 की धारा 251-क की उप धारा (1) का आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खं.नं. 1334 लगा. 1343, 4564/1 किता 11 कुल रकबा 27 बीघा 9 विस्वा वाकै ग्राम नरायना तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज. में स्थित है। उक्त भूमि में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त आराजीयात पर खं.नं. 2181 व 2182 की पश्चिमी सीमा सलग्न नक्शें में दर्शित मार्क ए से बी में से होकर अपनी उपरोक्त आराजीयात में आते जाते रहे है इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जान का कोई रास्ता नहीं है तथा संलग्न नक्शें में दर्शित मार्क ए से बी के आगे मार्क बी से सी ग्रेवल रोड़ रूपनगढ़ रोड़ तक बनी हुई है जो उक्त रास्ता मार्क ए से बी अप्रार्थीगण की 4/ आराजीयात खं.नं. 2181, 2182 में उपलब्ध करवाये जाने पर इसके आगे बनी ग्रेवल रोड़ में उक्त रास्ता मिल जायेगा उक्त रास्ता प्रार्थीगण के लिए काफी सुविधाजनक व सबसे नजदीकी रास्ता होगा इसलिए प्रार्थीगण को संलग्न नक्शे में दर्शित रास्ता मार्क ए से बी 25 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण की उपरोक्त आराजीयात में से उपलब्ध करवाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने व कृषि यन्त्रों को जाने ले जाने एवं मवेशीयों को लाने ले तथा प्रार्थीगण की आराजीयात पर बने आवासीय मकानात पर आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की आराजी खं.नं. 2181, 2182 मार्क ए से बी रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में उक्त रास्ता मार्क ए से बी में होकर अपनी आराजीयात पर सुविधापूर्वक आ जा सके ओर रास्तें का सुविधापूर्वक उपयोग उपभोग का सके। उक्त रास्तें के बाबत् प्रार्थीगण डी.एल.सी. की रेट की राशि प्रार्थीगण उक्त रास्तें की अवाप्ति / मुआवजा बाबत् देने को तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनिय 1955 की धारा 251-क की उप धारा (1) का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर अप्रार्थी सख्या 1 लगा. 6 व 9 की और से अधिवक्ता श्री लोकेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार फुलेरा द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुनील कुमार बनाम प्रभु हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की धारा 251 ए की उप धारा-(1) पर समायत कर निर्णय दिनांक 22/08/2024 पारित करते हुये रास्ता कायमी के आदेश पारित किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहने पर एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 1334 की आराजी में आने-जाने हेतु खसरा नम्बर 2181 व 2182 में से रास्ता चाहा गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से रास्ता कायमी का आदेश प्रदान कर दिया गया, जबकी दौराने बहस यह स्पष्ट हुआ है कि जिस आराजी खसरा नम्बर 1334 पर कृषि कार्य हेतु रास्ता चाहा गया है एवं खसरा नम्बर 1334 के लगवा ही खसरा नम्बर 1367 गैर मु. आबादी मौजूद है, जिससे यदि रास्ता अत्यन्त आवश्यक हो तो रास्ता दिया जाना निकटतम प्रतीत होता है | ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों का समुचित अंकन किये ही अर्थात वैकल्पिक निकटतम रास्तो का उल्लेखित किये बिना त्रुटीपूर्ण प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये नवीन रास्ता कायम किये जाने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी किया जाना प्रकट होता है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर दोनों पक्षों की सुनवाई उपरान्त विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22/08/2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार से अन्य वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ते को उल्लेखित करते हुये विस्तृत रिपोर्ट तलब कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 03/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर